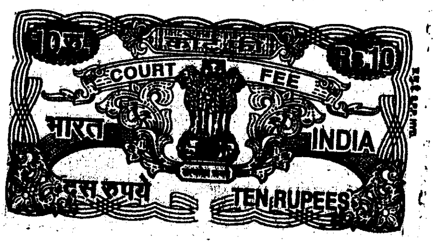

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प सागर

1. नत्थू तनय हल्काई यादव
निवासी ग्राम मौराहा तह. व
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..........आवेदक

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय तहसीलदार जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमाँक 69/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदेश दि. 16–12–2016 में प्रचलित कार्यवाही से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित् प्रमुख आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के पक्ष में न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र.क. 772/अ/1 वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2008 को आदेश पारित किया गया था जिसके आधार पर रिकार्ड सुधार किया जाकर आवेदक का नाम दर्ज किया जाना था किंतु राजस्व रिकार्ड सुधार न किए जाने से आवेदक द्वारा पारित आदेश की पालन हेतु आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका पालन न कर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही विचाराधीन चली आ रही है। जबकि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश प्रभावशील होने से प्रचलित कार्यवाही को निरस्त किए जाने और राजस्व रिकार्ड सुधार किए जाने के आधार पर यह निगरानी श्रवण योग्य है।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी जिला, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244808

2. यह कि तहसीलदार छतरपुर द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं किया कि न्या. अपर आयुक्त सागर पारित आदेश दि.03.09.2008 में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 415-I/17 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.17	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से अधिवक्ता राजेश द्विवेदी उपस्थित उभयपक्षों अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 69/अ—6—अ/2015—16 में प्रचलित कार्यवाही आदेश दिनांक 16/12/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— मैन आवेदक अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पारित आदेश का अवलोकन किया। वर्तमान में प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आवदेक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर के द्वारा निराकृत प्रकरण क्र. 772/अ/1 वर्ष 2005—06 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2008 के परिप्रेक्ष्य में रिकार्ड सुधार न किए जाने से एवं विचारण न्यायालय छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी प्रतिवेदन एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही किए जाने से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत कर रिकार्ड दुरूस्त किए जाने की मांग की गई है। वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन करना एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त रखना विचारण न्यायालय का परम कर्तव्य है किंतु तहसीलदार छतरपुर द्वारा आवेदक के आवेदन पर भी रिकार्ड सुधार न कर कार्यवाही प्रचलित रखना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ। उपरोक्तानुसार अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त आदेश को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत/अपास्त न किया गया हो तो अपर आयुक्त सागर के प्र.क. 772/अ—1/05—06 आदेश दिनांक 03.09.2008 के पालन में राजस्व अभिलेख दुरूस्त करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.